प्रेस नोट- थाना मिर्जापुर

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक- 21.09.2026

थाना मिर्जापुर पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही—नाबालिग किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म एवं धमकी के प्रकरण में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष मिर्जापुर के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान रोकथाम जुर्म जरायम, चोरी-लूट-अवैध शराब/शस्त्र बिक्री-निर्माण व अभियान तलाश वांछित/वारन्टी अपराधी के क्रम में थाना मिर्जापुर पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.09.2026 को थाना मिर्जापुर पर वादी द्वारा अपनी 16 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने के संबंध में तहरीर दी गई थी। उक्त तहरीर के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0-191/2026, धारा 137(2)/352 बीएनएस बनाम ज्ञानेन्द्र आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना उ0नि0 महेशपाल सिंह द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान अपहृता की उम्र 16 वर्ष 04 दिन होना पाया गया तथा धारा 180/183 बीएनएसएस के अंतर्गत पीड़िता के बयानों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्तगण 1. ज्ञानेन्द्र पुत्र नरवीर, 2. राजकुमार पुत्र रामसेवक, 3. भीम पुत्र सुन्दर, समस्त निवासीगण ग्राम बड़ी सरैया, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर के विरुद्ध सामूहिक बलात्कार एवं अभियुक्त भीम द्वारा धमकी देने संबंधी आरोप पाए जाने पर मुकदमे में धारा 70(2)/351(3) बीएनएस एवं 5(g)/6 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत उच्चाधिकारीगण के निर्देशानुसार वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 21.09.2026 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने, संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, वांछित अभियुक्तों की तलाश एवं अपराध की रोकथाम हेतु गश्त की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1. ज्ञानेन्द्र पुत्र नरवीर एवं 2. भीम पुत्र सुन्दर, समस्त निवासीगण ग्राम बड़ी सरैया, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर को ढाई अजमापुर रोड के पास से समय करीब 10:20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का विवरणः-

भीम पुत्र सुन्दर, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम सरैया, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर।

ज्ञानेन्द्र कुमार पुत्र रनवीर सिंह, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम बड़ी सरैया, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0-191/2026 धारा 137(2)/352/70(2)/351(3) BNS व 5(g)/6 पोक्सो एक्ट बनाम ज्ञानेन्द्र उपरोक्त 03 नफर, थाना मिर्जापुर, जनपद शाजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनाँक,समय व स्थान का विवरणः-

दिनांक-21.09.2026, समय करीब 10.20 बजे, ढाई अजमापुर रोड के पास ,

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. श्री मनोज कुमार, थानाध्यक्ष, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 महेशपाल सिंह, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर।
3. का0 2470 गोपाल, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर।
4. का0 737 अभिषेक, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर।
5. म0का0 246 प्रिया, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर।